



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.एल.-अ.-26062020-220186
CG-KL-E-26062020-220186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/आषाढ़ 2, 1942

No. 225]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASHADHA 2, 1942

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

अधिसूचना

त्रिवेन्द्रम, 27 दिसंबर, 2019

सं.पीएण्डए.1/विनियम/एएमडीटी/एससीटीआईएमएसटी/2017—श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 (1980 का 52) की धारा 32 उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम विनियम 1981 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम(संशोधन) विनियम 2019 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम(संशोधन) विनियम 1981 की तीसरी अनुसूची में—
(क) पैरा 9 में
(i) खंड (क) में “1700 रु प्रति मास” अक्षर, शब्दों और अंकों के स्थान पर “144200 रुपये प्रति मास “ अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (ख) में “1700 रु प्रति मास” अक्षर, शब्दों और अंकों के स्थान पर “144200 रुपये प्रति मास” अंक और शब्द रखे जाएंगे

(ख) पैरा 12 में “जहां संविदा की कुल रकम 2,00,000 रु. से अधिक नहीं है,” अक्षर, चिह्न, अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा।

डॉ. आशा किशोर, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा-/88/2020-21]

टिप्पण –मूल विनियम, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना सा.का.नि 379 (अ) तारीख 23 जून, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं डीआईआर- 3(2)/9/एससीटीआईएमएसटी/2014 तारीख 30 अप्रैल 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया

**SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES & TECHNOLOGY
TRIVANDRUM
NOTIFICATION**

Trivandrum, the 27th, December, 2019

No.P&A.I/REGULATION/AMDT/SCTIMST/2017,—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of the section 32 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act, 1980 (52 of 1980) read with sub-section (2) thereof, the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981, namely:-

1.(1) These regulations may be called the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology, Trivandrum (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology; Trivandrum Regulations, 1981, in Schedule III,-

(a) in paragraph 9,

(i) In clause (a), for the letters and figures "Rs.l 700 p.m.", the letters, figures and words "Rs. I ,44,200 per month" shall be substituted;

(ii) In clause (b), for the letters, figures and words" Rs.1700 per month", the letters, figures and words "Rs.l,44,200 per month" shall be substituted;

(b) in paragraph 12, the words, letters and figures", and where the total amount of the contract does not exceed Rs.2,00,000" occurring at the end shall be omitted,

Dr. ASHA KISHORE, Director
[ADVT-III/4/Ext./88/2020-21]

Note:- The Principal regulations were published in Gazette of India, Part, II, section 3, sub- section (i) vide G.S.R, 379 (E), dated the 23rd June, 1981 and last amended vide No.Dir-III(2)/9/SCTIMST/20 14 dated 30.04.2015.